

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/72
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00058
CICOM/R/2019/00058


दिनांक: 11.03.2019

अपीलकर्ता : श्री जान प्रकाश,
सुपुत्र - श्री इतवारी लाल,
डी-215, जय विहार, फेज-1,
नजफगढ़, नई दिल्ली - 110043.

निर्णय की तारीख: 11.03.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	08.01.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	30.01.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस. एस. रोहिला
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	01.03.2019
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	92/07.03.2019 (9722/06.03.2019)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 08.01.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से पांच बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री एस. एस. रोहिला, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है। प्रथम अपील आवेदन में अपीलकर्ता ने यह भी उल्लेख किया है कि आयोग के आदेश सं. CIC/SS/A/2012/002729 दिनांक 10.06.2013 का अनुपालन भी नहीं किया गया।
2. अपीलकर्ता का आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रथम अपील आवेदन का अवलोकन किया गया तथा इस संबंध में संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री एस. एस. रोहिला से बात करने पर उन्होंने बताया कि 2011 से 2013 तक प्राप्त पत्रों से संबंधित सूचनाएं मांगी गई हैं जो कि उपलब्ध नहीं हैं। उक्त परिप्रेक्ष्य में अपीलकर्ता के दिनांक 08.01.2019 के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री एस. एस. रोहिला, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा पत्र सं. CICOM/R/2019/000580/SB के माध्यम से दिनांक 30.01.2019 को प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। तक जहाँ तक आयोग के आदेश सं. CIC/SS/A/2012/002729 के अनुपालन का संबंध है, यदि आयोग के आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो निर्धारित समयावधि के अंदर नॉन-कम्प्लायंस आवेदन दाखिल किया जाना चाहिए था।
3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।



राजेश
(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

all